भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3846

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा**

**3846. श्री अनुभव मोहंती :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा राज्य से संबंधित छात्रों के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओडिशा (एनएलयूओ) में पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए की गई मांग पर सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस संबंध में निर्णय लेने में हो रही देरी से स्थानीय छात्रों का शैक्षणिक करियर प्रभावित हुआ है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**

**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (ग) :** राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा ने तारीख 04.01.2020 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवर्गों के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों के लिए 25% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दी है जिनके पास ओडिशा राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र है ।

**********